Witness .....PW. 03 ..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

the.....07th .....day of.....September 2023 ....Witness's apparent age.....20.....
Sates on affirmation ..... My name is. . **हितेश उपाध्याय.....**
Son of .....Shri दिनेश कुमार उपाध्याय.....occupation..... पुरोहित .....
address.....,निवासी–मुर्रा भट्ठी, गुढ़ियारी, थाना–गुढ़ियारी, जिला–रायपुर छ0ग0।.....

नोट :– साक्षी को शपथ दिलाकर मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया।

समय–4:20 बजे

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री आर०एस० भामरा अति० लोक अभियोजक वास्ते शासन

१/ मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी दिलीप यादव को जानता व पहचानता हूं। आहत विजय पाण्डेय मेरे मामा है। घटना वर्ष २०१९ भाईदूज के दूसरे दिन की है। घटना दिनांक को मैं अपने मामा के साथ मोटरसायकल से भाठापारा से रायपुर आ रहे थे, तभी प्रिंस ढाबा के पास जैस ही हम पहुंचे तब अचानक रोड में भैंस के आ जाने से भैंस टकराकर हम लोग नीचे गिर गये। तभी दिलीप यादव जो न्यायालय में उपस्थित है, ने मेरे मामा को हाथ में रखे डंडे से मारा और डंडे के चोंट से मामा लहूलुहान हो गये,फिर दिलीप यादव मेरी ओर बढ़कर मुझे भी डंडे से चेहरे पर नाक और आंख के बीच में मारा, जिससे मैं लहूलुहान होकर बेहोश हो गया और उसके पश्चात मुझे याद नहीं है। मुझे हॉस्पिटल में दिनांक ०१ नवम्बर २०१९ को होश आया। हॉस्पिटल में मुझसे नर्स ने मेरा नाम पूछी। मुझे पता चला कि मेरे मामा को भी सागर हॉस्पिटल में इलाज हेतु ले गये है। नारायणा हॉस्पिटल में मैं लगभग १० से १२ दिन इलाज हेतु भर्ती था।

२/ हॉस्पिटल में पुलिस पहुंच गयी थी और मुझसे पूछताछ की। पुलिस को मैंने घटना के बारे में बताया था। पुलिस ने मेरा बयान दर्ज किया है। थाना तिल्दा की पुलिस द्वारा धारा–९१ जा.फौ. का नोटिस दिये थे। उक्त नोटिस **प्र०पी–८** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस द्वारा कोई जब्ती कार्यवाही किये थे या नहीं मुझे याद नहीं है। जब्ती पत्रक **प्र०पी–४** के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

टीप – इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी। विचार बाद अनुमति प्रदान किया गया।

Witness .....PW. 03 ..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

३/ यह कहना सही है कि जब्ती पत्रक प्र०पी–४ अनुसार थाना तिल्दा की पुलिस द्वारा घटना के समय पहने मेरे कपड़े एक फुल पैंट व एक अण्डरवियर को मेरे द्वारा थाना में पेश करने से जब्त किया गया था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आलोक दत्त झा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

४/ साक्षी से यह पूछे जाने पर कि पढ़ाई करते हो क्या ? तब साक्षी ने कहा कि मैं पूजा पाठ कराता हूं। यह कहना गलत है कि मेरे मामा जी शराब पीते है और घटना के समय शराब पीये हुये थे। यह कहना सही है कि घटना दिनांक को मैं अपने मामा के साथ मोटर सायकल में जा रहा था और भैंस सड़क पार कर रही थी, उसी दौरान भैंस से टकराकर हम लोग गिर गये थे। यह कहना गलत है कि भैंस से टकराकर गिरने से हम लोगों को चोंट आयी थी।

५/ यह कहना गलत है कि भैंस गर्भवती थी और हम लोगों की मोटर सायकल से टकराने से भैंस एवं उसके बच्चे की मृत्यु हो गयी, तब भैंस के स्वामी ने हम लोगों से क्षतिपूर्ति के रूप में पैसे की मांग किया था। स्वतः कहा कि जैसे ही हम लोग भैंस से टकराकर नीचे गिरे वैसे ही आरोपी अभद्र भाषा का प्रयोग करते, गालिया देते हुये मामा जी को डंडे से मारने लगे, वह लहूलुहान हो गये उसके बाद मुझे भी उसी डंडे से आरोपी ने मारा था। यह कहना गलत है कि मैं आज आरोपी को फंसाने के लिये झूठा कथन कर रहा हूं।

समय–४:५५ बजे

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।

(विजय कुमार मिंज)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

(विजय कुमार मिंज)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

गवाह के हस्ताक्षर .....